(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 148/2021

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2021/154

बउनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू जिला बारॉ (राज.)

(अपीलांट)

बनाम

1. छेल बिहारी पुत्र जगदीश जाति धाकड निवासी बडोरा तहसील अटरू जिला बारॉ
2. धनराज पुत्र जगदीश जाति धाकड निवासी बडोरा तहसील अटरू जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्व नायब तहसीलदार अटरू के तस्दीकी नामान्तरकरण क्रमांक 779 दिनांक 05.07.2010 वाके ग्राम बडौरा तहसील अटरू अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री चन्द्र प्रकाश मीणा अभिभाषक पेरोकार सरकार (अपीलांट)
2– श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक (रेस्पो. क्रम 1 ता 2)

निर्णय दिनांक 02.08.2022

अपीलांट द्वारा जरिये पेरोकार सरकार अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अटरू के तस्दीकी नामान्तरकरण क्रमांक 779 दिनांक 05.07.2010 ग्राम बडौरा तहसील अटरू से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 14.07.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण मे रेस्पो. क्रम 1 व 2 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। प्रकरण में पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति को ही आधार मानकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई ।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त प्रकरण मे रेफरेंस प्रस्तुत किया जाना चाहिये था किन्त अपीला प्रस्तुत की गई है जो इस प्रकार है कि अपीलांट/सरकार के खाते की आराजी खसरा नम्बर 187 रकबा 3.14 है0 व खसरा नम्बर 188 की रकबा 1.94 है0 सिवायचक बंजर खाता राज्य सरकार दर्ज चली आ रही थी। वर्तमान मे इसके खसरा नम्बर 2907/187, 2908/188 है। यह कि रेस्पोडेन्टगण द्वारा उक्त [illegible] अपीलांट के यहा आवेदन किया जिस पर खसरा नम्बर 187 की रकबा 3.14 है0 [illegible] 0.50 है0 एवं खसरा नम्बर 188 की रकबा 1.94 है0 भूमि मे से 0.50 है0 [illegible] 1.00 है0 भूमि खनन कार्य हेतु अपीलांट द्वारा लीज स्वीकृत की गई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:40:38 IST
Reason: SelfAttested

यह कि रेस्पोडेन्टगण द्वारा मिलीभगत कर राजस्व रिकार्ड की [illegible]न्दी में अवैधानिक रूप से अपना नाम दर्ज करवा लिया है, जबकि अवैधानिक रूप से रेस्पो0 को उक्त भूमि मे केवल 1.00 है0 भूमि पर खनन स्वीकृति हेतु लीज जारी की गई थी। रेस्पो0 द्वारा राज्य सरकार का नाम अवैधानिक रूप से हटवाकर अपने नाम दर्ज करवा लिया गया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य है।

यह कि रेस्पोडेन्टगण को अपीलांटगण की भूमि पर केवल लीज का लाईसेंस जारी किया गया था, रेस्पो0 को सिवायचक बंजड भूमि पर किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही होने के बावजूद भी मिलीभगत कर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने मे त्रुटि की है जो निरस्त होने योग्य है।

यह कि रेस्पोडेन्टगण का नाम अवैधानिक रूप से राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी मे दर्ज होने से स्वीकृत लीज से ज्यादा सिवायचक बंजड भूमि पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर खनन कार्य किया जा रहा है। इस सम्बन्ध मे अपीलांट द्वारा दिनांक 29.6.2021 को रेस्पोडेन्टगण द्वारा अवैध अतिक्रमण कर खनन कार्य किया जा रहा है भूमि के सम्बन्ध मे सीमाज्ञान हेतु आदेश पारित किये गये जिस पर अपीलांट द्वारा टीम घटित कर सीमाज्ञान करवाया गया। जिस पर रेस्पोडेन्टगण द्वारा सिवायचक सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर खनन कार्य करता हुआ पाया गया। इस पर रेस्पो0 द्वारा अपीलांट से यह कहा गया कि उक्त भूमि मेरे खाते की भूमि है और मे इसका खातेदार हूँ, इस पर अपीलांट द्वारा राजस्व रिकार्ड देखने पर पता चला कि रेस्पोडेन्टगण द्वारा अवैधानिक रूप से लीजडीड की आड मे उक्त सिवायचक सरकारी भूमि को अपने नाम दर्ज करवा लिया है इस पर अपीलांट द्वारा राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त की जिसमें रेस्पोडेन्टगण का नाम 1.00 है0 भूमि पर खातेदार दर्ज होना पाया गया।

इस पर नामान्तरकरण संख्या 779 दिनांक 05.07.2010 की नकल दिनांक 05. 07.2021 को प्राप्त हुई। दिनांक 05.07.2010 से नकल प्राप्ति दिनांक 05.07.2021 तक की अवधि कन्डोन करने के पश्चात अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की जा रही है और वैसे भी उक्त नामान्तरकरण अवैध एवं शून्य है। वैधानिक रूप से ऐसे आदेश जो अवैध एवं शून्य है। उस पर समयावधि के प्रावधान लागू नही होते है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 779 दिनांक 05.07.2010 निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक कहा गया कि प्रकरण मे प्रथमतया रेफरेंस प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अटरू द्वारा नामान्तकरण संख्या 779 दिनांक 05.07.2010 वाके ग्राम बडौरा तहसील अटरू नियमानुसार सही खोला गया है। चूंकि रेस्पोडेन्टगण द्वारा उक्त भूमि खनन कार्य हेतु लीज पर ली गई है। जिसकी अवधि 20.9.2005 से 19.9.2025 है। उक्त प्रकरण मे लीजधारी का नाम लीज पर दर्ज करने की स्वीकृति दी गई है। अतः अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अटरू द्वारा नामान्तकरण संख्या 779 दिनांक 05.07.2010 वाके ग्राम बडौरा तहसील अटरू खोला गया है जो नियमानुसार सही है। चूंकि रेस्पोडेन्टगण द्वारा उक्त भूमि खनन कार्य हेतु लीज पर ली गई है। जिसकी अवधि दिनांक 20.09.2005 से 19.09.2025 तक है। वर्तमान मे लीजधारी द्वारा अवधि दिनांक 19.09.2055 तक बढवा ली गई है। उक्त प्रकरण मे लीजधारी का नाम लीज पर दर्ज करने की स्वीकृति दी गई है। प्रकरण में संलग्न 2073–2076 की जमाबंदी मे रेस्पोडेन्ट को खातेदारी अधिकार दिये गये है। उक्त जमाबन्दी मे पटवारी भागचन्द मीणा के हस्ताक्षर है जिसकी मृत्यु दिनांक 08.06.2020 को हो चुकी है। उक्त जमाबन्दी मे भू–अभिलेख निरीक्षक श्री भैरूलाल सुमन एवं नायब तहसीलदार श्री चिरंजीलाल कोली के हस्ताक्षर है। श्री भैरूलाल सुमन भू.अ.नि. दिनांक 31.12.2018 को सेवानिवृत्त हो चुके है एवं नायब तहसीलदार श्री चिरंजीलाल कोली दिनांक 28.02.2019 को सेवानिवृत्त हो चुके है। प्रकरण मे तत्कालीन पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार, अटरू द्वारा अमल दरामद करते समय गलती से रेस्पोडेन्टगण के नाम खातेदारी अधिकार देना अंकित किया गया है, जो गलत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:40:38 IST
Reason: SelfAttested

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अटरू द्वारा खोला गया नामान्तकरण संख्या 779 दिनांक 05.07.2010 वाके ग्राम बडौरा तहसील अटरू त्रुटिहीन होने से यथावत रखा जाता है। प्रकरण मे तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है कि तत्कालीन पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार अटरू द्वारा अमल दरामद करते समय गलती से रेस्पोडेन्टगण के नाम खातेदारी अधिकार देना अंकित किया गया है, जो गलत किया गया है, उसे दुरूस्त किया जावे।

निर्णय आज दिनांक **02.08.2022** को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:40:38 IST
Reason: SelfAttested